प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री नत्थीलाल, निवासी जनपद-हाथरस की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री नत्थीलाल, निवासी-नौपुरा, थाना-सादाबाद, जनपद-हाथरस का रहने वाला है। पूर्व में हुई बाबूलाल की हत्या के केस में खजान सिंह के दोषमुक्त हो जाने की नाराजगी को लेकर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 08.04.1979 को प्रात: लगभग 11:00 बजे खेत में फसल काट रहे श्याम लाल एवं खजान सिंह की लोहे के पाईप से मारकर एवं बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-227/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 149, 302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा द्वारा दिनांक 19-04-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.1999 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.04.2016 तक 16 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 11 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्तो की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त मा० उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में रखना उचित होने, तथा बन्दी की परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बाबूलाल की हत्या के केस में खजान सिंह के दोषमुक्त हो जाने तथा जमीन विवाद को लेकर 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 08.04.1979 को श्याम लाल एवं खजान सिंह नामक 02 व्यक्तियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की लोहे के पाईप एवं बन्दूक से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी का स्वास्थ्य एवं मानसिक दशा संतोषजनक है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता ,जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री नत्थीलाल को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- इस प्रकरण माउच्च 0तम न्यायालय में योजित रिट याचिका (क्रिमिनल) सं-02020/ 17 में पारित आदेश दिनांक 17.02201.7 तथा उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुन्ना (बन्दी संख्या-5492) पुत्र श्री नत्थीलाल निवासी जनपद-हाथरस के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-341/2017/192(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-341/2017/192/22-2-2017-17(14)/2001

दिनांक 15 मई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री नत्थीलाल, निवासी-नौपुरा, थाना-सादाबाद, जनपद-हाथरस का रहने वाला है। पूर्व में हुई बाबूलाल की हत्या के केस में खजान सिंह के दोषमुक्त हो जाने की नाराजगी को लेकर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 08.04.1979 को प्रात: लगभग 11:00 बजे खेत में फसल काट रहे श्याम लाल एवं खजान सिंह की लोहे के पाईप से मारकर एवं बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-227/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 149, 302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा द्वारा दिनांक 19-04-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.1999 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.04.2016 तक 16 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 11 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्तो की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त मा० उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में रखना उचित होने, तथा बन्दी की परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बाबूलाल की हत्या के केस में खजान सिंह के दोषमुक्त हो जाने तथा जमीन विवाद को लेकर 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 08.04.1979 को श्याम लाल एवं खजान सिंह नामक 02 व्यक्तियों की लोहे के पाईप एवं बन्दूक से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी का स्वास्थ्य एवं मानसिक दशा संतोषजनक है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता ,जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री नत्थीलाल को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in